न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 15/2020 **RCMS 2020/00030**

प्रार्थी

1. सांवताराम पुत्र भींवाराम जाति गुर्जर उम्र 70 वर्ष निवासी पालड़ी तहसील कुचामनसिटी हाल निवासी मीठड़ी तहसील नावां जिला नागौर, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी ।

प्रार्थना–पत्र रेकर्ड दुरूस्ती व शुद्वि बाबत अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनॉक :– 22-3-2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम पालड़ी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 45 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 46 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 48 रकबा 2.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 50 रकबा 1.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 51 रकबा 1.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.32 हैक्टर कुल रकबा 10.35 हैक्टर स्थित चली आ रही है, जिसमें प्रार्थी का नाम सांवता पुत्र भींवा जाति रेबारी दर्ज है जबकि वास्तविक नाम सांवताराम पुत्र भींवाराम जाति गुर्जर है उपरोक्त खसरान की भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुदा भूमि अन्य सहखातेदारान के साथ अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का 3/10 हिस्सा अर्थात 3.105 हैक्टर दर्ज चला आ रहा है जिसमे प्रार्थी की जाति गुर्जर के स्थान पर रेबारी दर्ज है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, उपरोक्त भूमि में प्रार्थी की जाति रिकार्ड में शुद्वि किया जाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थना–पत्र लाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का नाम सांवता पुत्र भींवा जाति रेबारी के स्थान पर सांवताराम पुत्र भींवाराम जाति गुर्जर दु[illegible]या जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार [illegible] करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से नक्शा ट्रेस की नकल,

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 ग्राम पालड़ी के खाता संख्या 195 की नकल, राशनकार्ड सं. 008387200576 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण में प्रार्थी वकील को सुना गया, जिसने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए सांवता पुत्र भींवा रेबारी के स्थान पर सांवताराम पुत्र भींवाराम जाति गुर्जर शुद्व प्रविष्टि राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज इत्यादि का अवलोकन किय गया जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077 ग्राम पालड़ी के खाता संख्या 195 खसरा नम्बर 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 कुल रकबा 10.35 हैक्टर में प्रार्थी सांवता पुत्र भींवा हिस्सा 3/10 जाति रेबारी सा. देह खातेदार अन्य सहखातेदारान के साथ प्रविष्टि अंकित है, राशन कार्ड में सांवताराम पुत्र भींवाराम पता मीठड़ी अंकित है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे प्रमाणित होता हो कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सांवताराम पुत्र भींवाराम जाति गुर्जर हो ? साथ ही यह भी अपने प्रार्थना–पत्र में कही भी अंकित नही किया है कि उक्त जाति रेबारी के गुर्जर के स्थान पर रेबारी कब दर्ज हुई तथा राजस्व रेकार्ड के कौनसे चौसाले में त्रुटि हुई है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित करने में विफल रहा है जिससे प्रार्थना–पत्र प्रार्थी काबिल खारिज होने से खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 22/3/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:33:35 IST
Reason: SelfAttested